न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. मो. इमरान पुत्र जुम्मा जी जाति कुरैशी मुसलमान (विक्रेता एवं मालिक)
   फर्म–मैसर्स जुम्मा व्यापारी एण्ड सन्स, गोडाबास मकराना।
   निवासी–मीनारा मजिस्द के पास, चमनपुरा तह. मकराना जिला नागौर।

प्रकरण संख्या :– 43/2021

" अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(v) एवं धारा–58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थिति :–

1. प्रतिवादी मो. इमरान पुत्र जुम्मा जी जाति कुरैशी मुसलमान।
2. राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर।

–:निर्णय :–

दिनांकः– 09.02.2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2020 को समय 12:50 पी.एम. पर फर्म मैसर्स जुम्मा व्यापारी एण्ड सन्स, गोडाबास मकराना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मो. इमरान पुत्र जुम्मा जी, निवासी–मीनारा मजिस्द के पास, चमनपुरा तह. मकराना जिला नागौर विक्रेता के हैसियत से उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते घी, तेल व मसाले आदि रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं को होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 50 किलों हल्दी पाउडर आमजन को विक्रय वास्ते एक प्लास्टिक के बंद कट्टे में रखी हुई थी। मुझे इसमें मिलावट व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि यह हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त प्लास्टिक कट्टे में रखे लगभग 50 किलों हल्दी पाउडर (लूज) को खुलवाकर में से अच्छी तरह से हिलामिला कर एक रूपकर, उसमें से 2 किलो हल्दी पाउडर (लूज) को तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 221/–(अक्षरे दो सौ इक्कीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1396 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य विक्रेता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर जब्त किया। नमूना लेने के पश्चात शेष बची हल्दी पाउडर (लूज) लगभग 48 किलोग्राम को अभिग्रहित कर प्रारूप नं.–2 में अभिग्रहण ज्ञापन व प्रारूप–3 में एक अभिग्रहण आदेश तैयार कर अभिग्रहित हल्दी पाउडर (लूज) को फर्म के मालिक मोहम्मद इमरान की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा तथा प्रारूप–2 व 3 के मूल प्रतियों पर मोहम्मद इमरान के हस्ताक्षर करवाये, गवाहन व मैनें स्वंय नें किये, प्रारूप 2 व 3 की प्रतियां न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने तथा अभिग्रहण की समस्त कार्यवाही का मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवॅ गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर, सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना Q-1396 सील बन्द किया था उसका निशान मौके पर ही मौका फर्द रिपोट पर अंकित किया उपरोक्त सभी कार्यवाही मैने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व प्रत्येक नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर श्री माणकचन्द, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अगले कार्य दिवस को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने अलग–अलग कार्य दिवसों में कार्यालय के श्री माणचन्द के द्वारा खाद्य सामग्री के पांच नमूने वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक अजमेर को भिजवाये गये थे कि फार्म नं. 6 व नमूने की पार्वती रसीदें कार्यालय में सहवन से रखी गई है, जो काफी प्रयासों के बाद भी नही मिलने के कारण कार्यालय पत्रांक 205 दिनांक 22.02.2021 के द्वारा पांचों नमूनों व फार्म नं. 6 की पावर्ती रसीदों की सत्याप्रति पुन भिजवाने बाबत निवेदन किया गया। प्रेषित पत्र की कार्यालय प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न हैं। श्रीमान खाद्य विश्लेषक प्रभारी जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर ने उक्त वर्णित पत्रांक के प्रतिउतर में नमूना जमा कराने की रसीदे व पावती रसीदों की सत्यापित छायाप्रति अपने पत्रांक 196 दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से भिजवाई। जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। श्रीमान आयुक्त एवं निदेशन जयपुर का पत्रांक 823 दिनांक 23.10.2020 प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य 26.10.2020 से 14.10.2020 चलाये जा रहे " **शुद्ध के लिए युद्ध अभियान** " के अन्तर्गत किये गये नमूनीकरण/ निरीक्षण एवं अन्य कार्यो की प्रभावी क्रियान्विति हेतु अभियान अवधि में राजकीय अवकाश दिवसों में राज्य में सचालित केन्द्रीय जन प्रयोगशाला जयपुर एवं सभी जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान कार्य दिवसों की भांति खुली रहेगी। जिसकी छाया प्रति न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक–चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/596–97 दिनांक 25.11.2020 के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या L.S/476/Act/2020/256 दिनांक 06.11.2020 से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता मो0 इमरान से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ हल्दी (लूज) का नमूना Q–1396 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZZ)(v) & 3(1) (ZZ)(vii) के तहत अनसेफ तथा Contravention of Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation 2011, because it sold in Loose Condition होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) को प्रस्तुत करने हेतु

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

आदेशित किया गया एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने फर्म को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक–चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/596–97 दिनांक 25.11.2020 प्रेषित किया। अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद व जांच रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात अभिग्रहित सामग्री बाबत् अधिनियम की धारा 47 की धारा 4 के अन्तर्गत अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को आवेदन प्रस्तुत किया। जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। मैसर्स जुम्मा व्यापारी एण्ड संस मकराना के खाद्य कारोबारकर्ता मोहम्मद इमरान की और से, खाद्य विश्लेषक अजमेर की प्राप्त रिपोर्ट से संतुष्ट नही होने के कारण खाद्य कारोबारकर्ता ने अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के समक्ष प्रार्थना पत्र मय फार्म न0 8 व मूल डीडी प्रस्तुत कर पुनः जांच हेतु अपील की जिस पर कार्यवाही करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने नमूने के दितीय भाग को श्रीमान निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को पुनः भिजवाया गया। फार्म–6ए की कार्यालय प्रति मय रजिस्ट्री की रसीद व फार्म नं.–8 मय प्रार्थना पत्र जो कि न्याय निर्णयन आवेदन संलग्न है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा पार्सल करने की मूल रसीद चस्पा है, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक–चिकि/एफएसएसए/RFL–Mysore/2021/320–21 दिनांक 19.03.2021 के साथ संलग्न निदेशक, रेफरल फूड लैबोरेट्री, मैसूर का विश्लेषण सर्टिफिकेट न0 87F/FSSA/2021 दिनांक 15.02.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की The sample is does not conform to the standards laid down for Turmeric Powder under the provisions of food safety and standards (prohibition and Restriction on sample) Regulation 2011 thereof in that :- a sample vioilates section 2.3.149(15) of the above regulation which states that " No person shall sell powdered spices and condiments except under packed condition'' होना पाया गया तथा जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा खाद्यकारोबारकर्ताको भी रजिस्टर्ड पत्रांक चिकि/एफएसएसए/RFL–Mysore/2021/320–21 दिनांक 19.03.2021 से भेजी गई। चूंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

के नियम 2.4.6(प) के अनुसार रैफरल फूड लैबोरेट्री से प्राप्त जांच रिपोर्ट अन्तिम है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद व विश्लेषण सर्टिफिकेट, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को प्रेषित की गई। प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज)को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जो धारा–58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(3) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 08.09.2021 को विक्रेता मोहम्मद इमरान ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 03.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार खुली अवस्था में विक्रय होना पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(4) प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को दिनांक 02.02.2022 को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी खुली अवस्था में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 12:50 पी.एम. पर फर्म मैसर्स जुम्मा व्यापारी एण्ड संस गोडा बास, मकराना जिला नागौर में स्थित संस्थान पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मो0 इमरान पुत्र जुम्मा जी, निवासी मीनारा मजिस्द के पास, चमनपुरा तह. मकराना जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते घी, तेल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

मसाले आदि खाद्य पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं को होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति से संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 50 किलो हल्दी पाउडर (लूज) आमजन को विक्रय वास्ते एक प्लास्टिक के बंद कट्टे में रखी हुई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इसमें मिलावट व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि यह हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त हल्दी पाउडर (लूज) में में लगभग 02 किलोग्राम हल्दी पाउडर (लूज) को तुलवाकर खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 221/–(अक्षरे दो सौ इक्कीस रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1396 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य विक्रेता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता मो0 इमरान एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए, खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म:–मैसर्स जुम्मा व्यापारी एण्ड संस, गोडाबास मकराना जिला नागौर विक्रेता मो0 इमरान पुत्र जुम्मा जी, निवासी–मीनारा मस्जिद के पास, चमनपुरा तह. मकराना जिला नागौर से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर) राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

है। तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री माणकचन्द वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त कर शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर रेफरल फूड लैबोरेट्री मैसूर के **FORM-A** सिर्टिफिकेट नं. **87F/FSSA/2021** का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The Sample is does not conform to the standards laid down for Turmeric Powder under the provisions of food safety and standards (prohibition and Restricition on Sample) Regulation 2011 thereof in that sample vioilates section 2.3.14.(15) of the above regulation which states that no person shall sell powdered spices and condiments except under packed condition होना पाया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) की जांच रिपोर्ट संख्या **LS/476/Act/2020/256** दिनांक 06.11.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य विक्रेता मो0 इमरान से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना **Q–1396** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनसेफ पाया गया है। जिसकी जांच रिपोट, जांच रिपोर्ट संख्या **LS/476/Act/2020/256** दिनांक 06.11.2020 मो0 इमरान को प्रेषित की गई। जिससे संतुष्ट नहीं होने से विक्रेता मो0 इमरान ने पुनः रेफरल लैबोरेट्री से जांच करवाने हेतु अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र मय फार्म न. 8 व मूल डीडी प्रस्तुत कर अपील की जिस पर अभिहित अधिकारी ने निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को नमूना भिजवाया। निदेशक, रेफरल लैबोरेट्री मैसूर का विश्लेषण सर्टिफिकेट न .**87F/FSSA/2021** दिनांक 19.03.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 2.3.14.(15) के तहत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहज जुर्माने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डीडवाना (नागौर) राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

योग्य है। निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला रेफरल लैबोरेट्री, मैसूर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) इस प्रकार है:–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में,स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नही कराएगा।

धारा 58:–जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगी।

(7) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांकः चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/596–97 दिनांक 25.11.2020 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है। जिससे संतुष्ट नही होने पर पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रेफरल लैबोरेट्री मैसूर से करवायी गई जिसके तहत उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म–मैसर्स जुम्मा व्यापारी एण्ड संस, गोडाबास मकराना जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–58 के तहत प्रतिवादी मो0 इमरान पुत्र जुम्मा जी जाति कुरैशी मुसलमान, स्थायी निवासी–मीनारा मस्जिद जिला नागौर, फर्मः–मैसर्स जुम्मा व्यापारी एण्ड संस, गोडाबास मकराना जिला नागौर पर राशि रुपये 30,000/–(अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(8) आदेश दिनांक 09.02..2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना